कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जालोर (राजस्थान)

आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./शा.शि.ग्रेड–III/एन.जे./2013 दिनांक 02-02-2018 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती वर्ष 2013 के संबंध में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध जारी आरक्षित सूची में चयनित अशार्थियों को जिला आवंटन करने पर अंकित विवरणानुसार चयनित अभ्यर्थियों कों तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद हेतु वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300-34800) ग्रेड वेतन 3600/- पद पर चयनोपरांत नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने एवं श्रीमान निदेशक मा.शि.राज.बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/ संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/एन.जे./2013 दिनांक 02-02-2018 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के फलस्वरूप **संलग्न विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600/- में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में 02 वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं।** परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 12 (6) एफ.डी.नियम/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ. 15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 शेडयूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल–10 में **नियत मानदेय रू. 23700/–**(अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.8 (1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 के तहत **नियुक्ति तिथि से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।**

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगें।

–लगातार–

4. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजो का मिलान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित छाया प्रतियो के दो सेट प्राप्त करे एवं 10 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
5. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्ष पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगें। यदि ऐसे कोई अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिया जावें ।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षित/प्रमाणिकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरांत ही उन्हें पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जावें ।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के अधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।
8. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बावडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समूदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **28-02-2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न याचिकाओं में जारी आदेशों के अध्याधीन रहेगी ।

संलग्न– सूची 06 अभ्यर्थी

(ललित शंकर आमेटा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मा/जा/संस्था–अ/शाप्रअनु 2013/18/166 दिनांक **12.02.2018**

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. उपनिदेशक, माध्यमिक, शिक्षा विभाग, पाली
7. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका....................
8. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
10. रक्षित पत्रावली ।

12/02/18
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, जालोर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मा/जा/संस्था–अ/शाप्रअनु 2013/18/166 दिनांकः– 12.02.2018

क्र. स	वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R-137	NEERAJPAL SINGH CHAUHAN	SUKHVIR SINGH CHAUHAN	ग्राम पोस्ट रमाला जिला बागपत उत्तर प्रदेश	GE	10-10-79	GENM	राउमावि मेडा ब्राहम्णान् (भीनमाल)
2	R-139	VIKRAM SINGH	GANGA SINGH	गांव चामण्डियाक, पो. खरिया नींव, तहसील सोजतसीटी जिला पाली	GE	01-07-80	GENM	राउमावि बूगांव (जसवंतपुरा)
3	R-1201	RAKESH MEENA	LALA RAM MEENA	नई कोठी की ढाणी , लूणियावास गोनेर रोड जयपुर	ST	25-07-89	STM	राउमावि बासडाधनजी (जसवंतपुरा)
4	R-1203	CHANDA LAL MEENA	RAM SAHAY	ग्राम –बाढ बलदेवपुरा, पो. अचलपुरा तह. चाकसू जिला जयपुर	ST	03-04-88	STM	राउमावि काछेला (चितलवाना)
5	R-1207	SHIV NARAYAN MEENA	GOUTAM LAL MEENA	पो.लूण्डा वाया कनोर तह. वल्लभनगर जिला उदयपुर	ST	15-01-78	STM	राबाउमावि जसवन्तपुरा
6	R-1206	RAJESH KUMAR MEENA	PRABHU SINGH	निवासी मायला पोलिया, पो.आ. गाडोली तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा	ST	10-07-78	STM	राउमावि सुंथडी (चितलवाना)

12/02/18

(ललित शंकर आमेटा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,जालोर